

इलाहाबाद बैंक / इण्डियन बैंक में चोरी का प्रयास करने व स्कूटी चोरी करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ० कौस्तुभ के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री गयादत्त मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री मनोज कुमार पाण्डेय व प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 14.01.2021 की रात्रि में कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मेंहदावल बाईपास स्थित इलाहाबाद बैंक / इण्डियन बैंक की शाखा में लॉकर तोड़ने का प्रयास व सीसीटीवी तोड़ दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग 35/21 धारा 380/457 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया था व दिनांक 15.01.2021 को बरदहिया बाजार से वादी राहुल मिश्रा पुत्र राजेन्द्र मिश्रा निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर की स्कूटी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद मु०अ०सं० 39/21 धारा 379/411 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया था। उक्त दोनों प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए गठित टीम द्वारा आज दिनांक 17/18.01.2021 की रात्रि में कसैला क्रॉसिंग के पास से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रजत दूबे पुत्र शिवकुमार निवासी ट्यूबवेल कालोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद को एक अदद चोरी की स्कूटी (बिना नम्बर प्लेट की) सम्बन्धित मु०अ०सं० 39/21 धारा 379/411 भा०द०वि० बरामद किया गया।

उक्त अभियुक्त से पूछताँछ किया गया तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 14.01.2021 की रात्रि में इलाहाबाद बैंक / इण्डियन बैंक में चोरी की नियत से घुसे थे परन्तु लाकर नहीं तोड़ पाये व पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर डर गये जिससे सीसीटीवी व डीवीआर को तोड़कर भाग गये तथा दिनांक 15.01.2021 को बरदहिया बाजार में खड़ी स्कूटी को चुरा लिया था। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी से थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं० 35/21 व मु०अ०सं० 39/21 का सफल अनावरण हुआ है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री मनोज कुमार पाण्डेय, प्रभारी स्वाट निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, उ0नि0 श्री शैलेन्द्र शुक्ला, हे0का0 इन्द्रजीत यादव, हे0का0 देवनरायण, का0 ऋषिवेद तिवारी, का0रमेश यादव, का0अमित कुमार, का0रवीन्द्र कुमार निषाद, का0 सुशील गौड़, का0 अनुराग कुमार, हे0का0 चा0 विनोद यादव ।

1 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** डीघा बाईपास के पास से मो0 युसुफ पुत्र जान मोहम्मद निवासी ट्यूबवेल कालोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर के कब्जे से 1 किलों 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 41 / 2021 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र शुक्ला, का0 आशीष गौड़, का0 अजीत कुमार ।

02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1- बटोही पुत्र मिनकन 2- लालजी पुत्र मिनकन निवासीगण बडी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 0 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना महली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत कौडियापार से इवेन्ट संख्या 03658 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल 05 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को जरिये एम्बुलेंस इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया तथा वादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा जाने को बताया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 इन्द्रजीत यादव, आ0 सुजीत कुमार सिंह, आ0चा0 मनोज राय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 62 वाहनो से 54000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 62 वाहनो से 54000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।